वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर
संख्या : 796 /XVII(1)-01/2007-10(02)/2007

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 06 सितम्बर 2007.

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष" में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-790/XVII(1)-01/2007-10(02)/2007, दिनांक 21 अगस्त 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनागत पक्ष" में संलग्नक-01 के अनुसार प्राविधानित रूपये 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) तथा "आयोजनेत्तर पक्ष" में संलग्नक-02 के अनुसार रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। **अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाए।**
3. उक्त आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, बजट मैनुअल तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाए, जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही हैं।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा

नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाए।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
7. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
9. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
10. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के अन्तर्गत संलग्नक–01 एवं 02 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–433(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक 26 सितम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :996 (1)/XVII(1)-01/2007–10(02)/2007, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

27 September 2007

शासनादेश संख्या–994/XVII(1)-01/2007–10(02)/2007, दिनांक सितम्बर 2007 का संलग्नक–01

1. अनुदान संख्या–30 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–06–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 06–अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
25–लघु निर्माण कार्य	1000
योग	**1000**

(रूपये दस लाख मात्र)

2. अनुदान संख्या–30 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–12–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 12–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
25–लघु निर्माण कार्य	1000
योग	**1000**

(रूपये दस लाख मात्र)

(धनराशि हजार रूपये में)

महायोग	**2000**
(रूपये बीस लाख मात्र)	

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

27-09-2007

शासनादेश संख्या–996/XVII(1)-01/2007–10(02)/2007, दिनांक सितम्बर 2007 का संलग्नक–02

1. अनुदान संख्या–30 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–03–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
25–लघु निर्माण कार्य	100
योग	100

(रूपये एक लाख मात्र)

2. अनुदान संख्या–30 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–06–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 06–अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
25–लघु निर्माण कार्य	100
योग	100

(रूपये एक लाख मात्र)

BHUWAN PANDEY

27-09-2007

3. अनुदान संख्या–30 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–12–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 12–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	धनराशि
25–लघु निर्माण कार्य	200
योग	**200**

(रूपये दो लाख मात्र)

(धनराशि हजार रूपये में)

महायोग	**400**
(रूपये चार लाख मात्र)	

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY 27-09-2007